27

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2012- निगरानी — R 3226-I/12

1- सुखदेव सिंह पुत्र नाथूराम, निवासी ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिण्ड-म0प्र0।

2- रामनेश सिंह यादव पुत्र बचान सिंह यादव, निवासी ग्राम हिही, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

3- ब्रह्मानन्द यादव पुत्र हनुमान सिंह यादव, निवासी ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

विरुद्ध

1- अभिलाषा देवी पत्नी अवधेश शर्मा,
2- रामसखी पत्नी कप्तान सिंह,
3- ओमप्रकाश पुत्र नीबेराम शर्मा,
समस्त निवासीगण ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

---आल प्रतिप्रार्थीगण

4- हीरामन पुत्र नाथूराम,
5- देवेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,
6- नारायणी पत्नी पातीराम,
7- अशोक पुत्र हाकिम सिंह यादव,
समस्त निवासीगण ग्राम दीनपुरा, तहसील व जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ।

---तातीमप्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, दिनांक 4-10-12, अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, प्र0क्र0 208/10-11-अपील

श्री ... के अभिभाषक, ... द्वारा आज दि. 30-10-12 को प्रस्तुत
30/10/12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

30/10/12

... पेशी 30-8-12 नियत की गई थी
... पक्षकार बनाये
क्रमश: ---

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3724/एक/2012 जिला–भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-12-2016	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 208/2010 –11 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.10.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि तहसील भिण्ड के ग्राम दीनपुरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 93/1 रकवा 0.26 है0 में से अंश भाग पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने क्रय की थी। और विक्रय पत्र के आधार पर उनका नामान्तरण के लिये प्रकरण विचाराधीन था। आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि का बंटाकन किये जाने का आवेदन पेश किया। जो प्रकरण क्रमांक 01/05–06/अ–3 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2006 से बंटाकन आदेश पारित कर दिया गया। तहसील न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 व 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकरण क्रमांक 12/2007–08 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 30.06.2011 से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2006 निरस्त किया गया। इसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा	

अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। जो पारित आदेश दिनांक 04.10.2012 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत् अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलीय न्यायालयो द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का समुचित निर्वहन किये बिना आदेश पारित किये है। जो अभिलेख एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् जॉच की जाकर बंटाकन की कार्यवाही की गयी थीं। जिसे बिना किसी वैधानिक कारण के निरस्त नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रक्षकार बनाये जाने के आवेदन पत्र पर तर्क हेतु पेशी दिनांक 30.08.2012 नियत की गयी थीं। किन्तु इस आवेदन पत्र का निराकरण के स्थान पर एवं अन्तरिम आदेश के स्थान पर प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित किया है। जोकि अभिलेख से स्पष्ट त्रुटि है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदकगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया। कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण में विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश दिनांक 04.10.2012 पारित किया है। जो विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखा जाये यहाँ तक तहसील न्यायालय का प्रश्न है तो न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित

किया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2011 से निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के समवर्ती निष्कर्ष है जिन्हे पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करने नहीं किया जाना चाहिये। अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्व अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थीं। जो स्पष्टतः अवधि बाह्य थी ऐसी स्थिति में परिसीमा के वैधानिक प्रश्न का सर्वप्रथम निराकरण किया जाना चाहिये था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 में निष्कर्ष दिया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5–व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है। पक्षकार विलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है – पर्याप्त कारण का सबूत – अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है। न्यायालय अपने अंत निर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बढा सकता। इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 17.01.2011 द्वारा अपने समक्ष अपील में मृतक प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के विधिक प्रतिनिधियों के विषय में आवेदन न किये जाने पर इसी त्रुटि के कारण प्रकरण निरस्त किया गया। इस निरस्ती दिनांक को उनके अधिवक्ता

उपस्थित थे संहिता की धारा 35 (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गयी। और प्रकरण दिनांक 07.06. 2011 को पुनः स्थापित कर दिया गया तत्पश्चात् प्रकरण में पेशी दिनांक 16.06.2011 नियत की गयी। उक्त दिनांक को अभिलेख प्राप्त न होने के कारण अगली पेशी 23.06.2011 दी गयी। उक्त दिनांक को मृतक प्रत्यर्थी क्रमाक 6 के वारिसान आवेदन स्वीकार किया गया। और पेशी 27.06.2011 नियत की गयीं उक्त दिनांक को अभिलाषा देवी के अभिभाषक की बहस सुनी जाकर प्रकरण आदेशार्थ रखा गया तद्नुसार आदेश दिनांक 30.06.2011 को अन्तिम आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया। संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत निर्मित नियमो के नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 35(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को पृथक से दर्ज किया जाना चाहिये। इस संबंध में 2010 आर.एन 215 में स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में जो आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित किया गया है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रामनरेश सिंह यादव द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके जबाव एवं तर्क हेतु दिनांक 21.06.2012 नियत की गयी थी तत्पश्चात् पेशियॉ जबाव एवं तर्क हेतु नियत की गयीं। प्रकरण में आवेदन पत्र पर तर्क दिनांक 30.08.2012 को श्रवण किये गयें और प्रकरण आदेशार्थ रखा गया। इस प्रकार प्रकरण में गुण दोषो पर तर्क सुने बिना ही आदेश दिनांक 04.10.2012 प्रकरण के गुण दोषो पर पारित कर दिया गया। अतः ऐसा आदेश विधिवत् एवं उचित नही होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 208/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 12/2007-08 में पारित आदेश दिनांक में 30.06.2011 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं विचारण न्यायालय तहसीलदार वृत्त फूफ द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2005-06/अ-3 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2006 स्थिर रखा जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।

सदस्य